साम्प्रदायिक पंचाट (1932)
[Communal Award (1932)]

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितम्बर 1931 ई.) की असफलता ने सरकार को **'फूट डालो और राज करो'** की नीति का कुटिल खेल खेलने का मौका दिया। चूंकि भारतीय स्वयं साम्प्रदायिक समस्या का समाधान न कर सके , अतः समस्या का समाधान निकालते हुए 16 अगस्त, 1932 ई. को रेम्जे मेकडॉनल्ड ने अपना निर्णय दिया जिसे **'साम्प्रदायिक पंचाट'** या **'मैकडॉनल्ड अवार्ड'** भी कहा जाता है।

साम्प्रदायिक पंचाट की मुख्य बातें (Main Statements of Communal Award)

मेकडॉनल्ड द्वारा घोषित निर्णय की मुख्य बातें निम्नलिखित थी –

(1) प्रान्तीय विधान मण्डलों में स्थानों का बंटवारा किया गया और केन्द्रीय विधान मण्डल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया।

(2) पंचाट में मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों, एग्लोइण्डियन और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई।

(3) हरिजनों, जिसे दलित वर्ग (डिप्रेस्ड क्लास) कहा जाता था, को अल्पसंख्यक सम्प्रदाय मान लिया गया। हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक करने के उद्देश्य से उनके लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। साधारण चुनाव क्षेत्रों में एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया।

(4) श्रम, वाणिज्य, उद्योग, जमींदारों एवं विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक चुनाव क्षेत्र निर्धारित किये गये व उनके लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई।

(5) उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रान्त के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में स्त्रियों के लिए तीन प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये।

(6) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं की संख्या में वृद्धि कर उसे दुगुना कर दिया गया।

(7) मुसलमानों के लिए प्रत्येक प्रान्त में सीटें सरक्षित कर दी गई। जिन प्रान्तों में

मुसलमानों को ... के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, परन्तु पंजाब और बंगाल में जहाँ मुसलमान बहुमत में थे, उनके लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से दुगुने के लगभग स्थान दिए गए।

(8) पंजाब में सिक्खों एवं बंगाल में यूरोपियनों को उनकी आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई।

(9) हिन्दुओं को उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त तथा सिन्ध, जहां उनकी संख्या कम थी, मुसलमानो के समान रियायतें नहीं दी गई।

हरिजनों के पृथक् निर्वाचन अधिकार को गाँधी ने हिन्दू समाज की एकता पर हमले के रूप में लिया। सरकार के **'सांप्रदायिक निर्णय'** से जहाँ वर्ग विशेष के प्रतिनिधि, जिनके स्वार्थों की सुरक्षा हुई थी, प्रसन्न थे, वहीं राष्ट्रवादी तत्व, काँग्रेस और विशेषकर गाँधी अत्यंत दुःखी हुए। इस निर्णय की योजना ही इस प्रकार बनाई गई थी कि प्रान्तों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास नहीं हो सके। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था, जिसमें मुसलमानों और यूरोपियों को विशेष रियायतें प्रदान की गईं। हिन्दुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस निर्णय का सबसे दुःखद् पहलू यह था कि इसने मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा दिया। शीघ्र ही मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें माँगने लगी।

गाँधी की प्रतिक्रिया और आमरण अनशन

हरिजनों को हिन्दुओं से अलग कर उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से महात्मा गाँधी को गहरा सदमा पहुँचा। 8 अगस्त 1932 को मेकडॉनल्ड को एक पत्र लिखकर गाँधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने यह भी धमकी दी कि सरकार यदि अछूतों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली समाप्त नहीं करेगी, तो वे 20 सितम्बर 1932 से आमरण अनशन आरम्भ कर देंगे। सरकार ने इस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टे उन्हीं पर आरोप लगाया कि वे दलितों का उत्थान नहीं चाहते। दूसरी तरफ भारतीय नेता गाँधी के निर्णय से चिंतित हो उठे। पं. मदन मोहन मालवीय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आदि ने डॉ. अम्बेडकर से समझौता वार्ता आरम्भ की। पूना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न नेताओं ने भाग लिया।

इस प्रकार मैकडॉनल्ड ने पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीयता के हितों पर कुठाराघात किया। डॉ. ताराचन्द का मानना है कि **'भारत की स्वातन्त्रय आकांक्षा की इससे अधिक कोई हानि नहीं हो सकती थी जितनी मैकडॉनल्ड प्रयत्न से हुई।'**

पूना पैक्ट (1932)
[Puna Pact (1932)]

साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय गांधी यरवदा जेल में थे। इस घोषणा के अनुसार दलित वर्ग को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा दी गई। हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने और हिन्दुओं की एकता नष्ट करने के सरकार के प्रयास से गांधी को गहरा धक्का लगा। अतः 20 सितम्बर 1932 को उन्होंने साम्प्रदायिक पंचाट के विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया जिससे गांधी का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय में **सर तेजबहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम टंडन, डॉ. अम्बेडकर, घनश्याम दास** आदि भारतीय नेता गांधी से जेल में मिले और अन्ततः हरिजन नेता **डॉ. अम्बेडकर व गांधी में 26 सितम्बर 1932** को एक समझौता हुआ जो **'पूना समझौता'** के नाम से विख्यात है। इस समझौते द्वारा आपत्तिजनक अंग को साम्प्रदायिक पंचाट से हटाया गया। इसी दिन गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी समझौते को स्वीकारा।

पूना समझौते की शर्तें (Provisions of Puna Pact)

पूना समझौते की निम्नलिखित शर्तें थी –

(1) हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति का परित्याग कर दिया गया। उनके लिए निर्धारित संख्या में सीटें सुरक्षित कर दी गई।

(2) साम्प्रदायिक पंचाट की तुलना में इस समझौते में हरिजनों को दुगुने से भी अधिक स्थान दिये गये।

(3) यह भी निश्चित हुआ कि पहले उस चुनाव क्षेत्र में हरिजन वर्ग के सभी मतदाता अपने वर्ग के चार उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे बाद में हिन्दू और हरिजन संयुक्त रूप से इन चार प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी चुनेंगे। यह व्यवस्था दस वर्ष तक रहेगी।

(4) हरिजनों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने का अधिकार दिया गया।

(5) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में भी ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित स्थानों में से 20 प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे गये।

(6) हरिजनों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

(7) हरिजनों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रबन्ध किया गया।

इस समझौते के पश्चात् गाँधी का ध्यान मुख्यतः हरिजनोद्धार की तरफ लग गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सविनय अवज्ञानं आन्दोलन की गति मंद पड़ती जा रही है। अतः उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयास आरम्भ कर दिए। उनके प्रयासों से हरिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाऐं बनाई गई। अस्पृश्यता निवारण के प्रयास किए गए। गाँधी ने अछूतों के लिए उपवास भी रखे।

इस समझौते से हरिजनों की दशा में बहुत सुधार हुआ। उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई।

क्रिप्स मिशन (1942)
[Cripps Mission (1942)]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमन्त्री **चर्चिल** था जो घोर साम्राज्यवादी था। भारतीय नेताओं के साथ समान स्तर पर बातचीत करना वह अपना अपमान समझता था। परन्तु युद्ध के दौरान ब्रिटेन एवं मित्र राष्ट्रों की हालात नाजुक होती जा रही थी। ऐसे समय में भारत का सहयोग एवं भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण समझौता करना जरूरी था। 11 मार्च, 1942 ई. को चर्चिल ने **'हाउस ऑफ कामन्स'** में अपने विचार व्यक्ति करते हुए कहा कि–**"जापानियों की प्रगति के कारण भारत के लिए जो भय तथा संकट उत्पन्न हो गया है, उसको देखते हुए हम यह आवश्यक समझते है कि आक्रमण से भारत की रक्षा के लिए हमें भारत के समस्त वर्गों को संगठित करना चाहिए।"**

अतः भारतीयों को सन्तुष्ट करने और समस्याओं को सुधारने हेतु 22 मार्च, 1942 को ब्रिटिश मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे–

1. **जापान से भारतीय साम्राज्य को खतरा**–दिसम्बर, 1941 ई. में विश्व युद्ध में प्रवेश के बाद से जापान लगातार दक्षिणी–पूर्वी एशिया में सफलता प्राप्त कर रहा था। मार्च, 1942 ई. के आरंभ में उसने समस्त वर्मा जीत लिया। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया।

2. **युद्ध प्रयत्नों में सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता**–द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ से भारत सरकार सभी दलों से सहयोग के लिये प्रयत्न कर रही थी। इस समय तक कांग्रेस का रवैया स्पष्ट हो गया था। वह ठोस अधिकारों को प्राप्त किये बिना इसके लिये तैयार नहीं थी।

3. **रुजवेल्ट का दबाव**–अमेरिका के प्रेसीडेंट रुजवेल्ट ने भी इंग्लैण्ड की सरकार पर भारतीयों से समझौता करने के लिये दबाव डाला।

4. **चीन के च्यांग काई शेक की सलाह**–अंग्रेजों के मित्र च्यांग काई शेक ने भी चर्चिल को ऐसा करने की सलाह दी।

5. **आस्ट्रेलिया की अपील**—आस्ट्रेलिया के विदेश मन्त्री ने आस्ट्रेलिया की पार्लियामेन्ट में कहा कि इंग्लैण्ड को भारतीयों के साथ समझौता कर लेना चाहिए।

6. **कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन**—यद्यपि ब्रिटेन की संकटमय स्थिति को देखते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन बन्द कर दिया गया किन्तु कांग्रेस ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया।

सर स्टेफर्ड का व्यक्तित्व (Personality of Sir Stefard)

उपरोक्त परिस्थितियों में स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय किया गया। वह एक समाजवादी तथा अच्छा वक्ता था। काफी समय से वह भारतीय समस्याओं का अध्ययन कर रहा था। ऐसा माना जाता था कि क्रिप्स भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखता है। जवाहर लाल नेहरू से उसका व्यक्तिगत परिचय था। 23 मार्च, 1942 ई. को वह भारत आया तथा बीस दिन यहां रुक कर वापस चला गया। इस अवधि में उसने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

क्रिप्स के प्रस्ताव (Proposal of Cripps)

इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है। युद्ध के बाद के प्रस्ताव तथा युद्ध की अवधि के प्रस्ताव।

(A) युद्ध के बाद के प्रस्ताव (Post War Proposal)

1. युद्ध के तुरन्त बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन दिया गया था।
2. क्रिप्स के अनुसार ऐसे नाजुक समय में नया संविधान नहीं बनाया जा सकता। इस कार्य को युद्ध के अन्त के बाद तुरन्त आरम्भ किया जायगा।
3. संविधान सभा में ब्रिटिश भारत व देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा सभाऐं करेंगी। देशी राज्यों के प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा मनोनीत होंगे।
4. संविधान के निर्माण के समय एक अन्तरिम सरकार बनाई जायगी।
5. ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाये गये संविधान को स्वीकार करेगी तथा भारत सरकार के साथ एक संधि करेगी।
6. यदि कोई प्रान्त चाहे तो इस संविधान द्वारा प्रस्तावित भारतीय राज्य से अलग रह सकता है तथा ब्रिटेन के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रख सकता है।
7. देशी रियासतों के शासकों को भी इसी प्रकार का अधिकार दिया जायेगा।

(B) युद्ध की अवधि के प्रस्ताव (War time Proposal)—

1. युद्ध की अवधि में भारत की रक्षा का भार इंग्लैण्ड ही वहन करेगा लेकिन एक भारतीय को रक्षा मन्त्री के पद पर नियुक्त किया जायेगा।
2. यह आशा की गई थी कि भारत के राजनैतिक दल व जनता ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्नों में सभी प्रकार से सहयोग करेंगे।

3. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी एक मंत्री परिषद का सारा कार्य करेगा।

राजनीतिक दलों व देशी रियासतों की प्रतिक्रियाएं (Reaction of Political Parties and Princely States)

1. कांग्रेस की प्रतिक्रिया—कांग्रेस ने कहा कि किसी भी प्रान्त या देशी रियासत को प्रस्तावित भारतीय राज्य से अलग रहने का अधिकार न दिया जाय। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में देशी शासकों द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत करने के सुझाव पर भी उसने आपत्ति की। कांग्रेस ने युद्ध काल के बाद कुछ प्रस्तावों को लागू करने का विरोध किया। वह भविष्य में कार्यान्वित होने वाले प्रस्तावों पर विश्वास नहीं करती थी। वह चाहती थी की जो कुछ भी परिवर्तन हो वे तुरन्त किये जायें। उसके मत में एशिया के देशों के स्वतन्त्रता संग्राम में सहयोग देने के लिये भारत को तत्काल स्वराज्य देना जरूरी था। भारत की रक्षा का भार भारतीयों को न सौंपने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति की। अबुल कलाम आजाद के अनुसार क्रिप्स को भारत भेजना केवल इस बात को सिद्ध करता था कि कांग्रेस भारत की सच्ची प्रतिनिधि संस्था नहीं है तथा भारतीयों की फूट के कारण समस्या उलझ गई है। **महात्मा गांधी** ने इसे **'आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चैक'** (Post dated cheque) बताया।

2. मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया—मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया जिसमें प्रान्तों व देशी रियासतों को पृथक–पृथक इकाइयाँ बना कर ब्रिटेन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाये रखने का अधिकार दिया गया था क्योंकि इस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम बहु संख्यक प्रान्त भारतीय राज्य से अलग रह सकते थे। लेकिन उसने विचार प्रकट किया कि संविधान बनाने की प्रक्रिया अस्पष्ट व परिवर्तनशील है। वह चाहती थी कि प्रान्तों तथा देशी राज्यों को संविधान सभा से अलग रहने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसने यह भी आग्रह किया कि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान के सिद्धान्त को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करे।

3. हिन्दू महासभा की प्रतिक्रिया—हिन्दू महासभा को यह भय था कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से दश का विभाजन हो जायेगा।

4. सिक्खों के विचार—सिक्खों के नेताओं को यह भय था कि मुस्लिम बहुल प्रान्त प्रस्तावित संघ से अलग रहेंगे तथा सिक्खों को उनके अधीन रहना पड़ेगा।

5. अम्बेडकर के विचार—अम्बेडकर ने आपत्ति की कि इस प्रस्ताव को मान लेने से हरिजनों को हिन्दुओं की दया पर आश्रित रहना पड़ेगा।

इस प्रकार सभी दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया।

क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण (Casues of the failure of Cripps Mission)

1. सभी दलों का यह मत था कि अन्तरिम काल से संबंधित प्रस्ताव अस्पष्ट थे। आरम्भ में क्रिप्स ने राष्ट्रीय सरकार की बात की थी किन्तु शीघ्र ही उसने यह कहा कि केवल वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जायेगा।

2. क्रिप्स के प्रस्तावों में विधान मण्डलों की सीटों का बंटवारा न्यायोचित ढंग से नहीं किया गया था।
3. अंग्रेज अधिकारियों का स्वार्थपूर्ण रवैया भी इसकी असफलता के लिए जिम्मेदार था।
4. भारतीय जनता, विशेषकर कांग्रेस को, ब्रिटिश सरकार के इरादों के बारे में विश्वास नहीं था।
5. भारत में क्रिप्स और यहाँ के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच विचार–विमर्श के समय इंग्लैण्ड में लार्ड हेलीफेक्स ने इनकी कड़ी आलोचना की थी।
6. यद्यपि क्रिप्स ने प्रस्ताव किया था कि गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी एक मन्त्री परिषद की भांति कार्य करेगी किन्तु भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने इसका विरोध किया।
7. चर्चिल भी भारत को वास्तविक सत्ता सौंपने के विरूद्ध था।

लास्की के अनुसार (According to Lausky)—वास्तव में चर्चिल की सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को समस्या के हल करने के इरादे से नहीं भेजा था। उसका असली विचार भारत को स्वाधीनता देना नहीं अपितु मित्र राष्ट्रों की आँखों में धूल झोंकना था।

परिणाम (Results)

1. **भारत छोड़ो आन्दोलन** (Quite India Movement)—क्रिप्स ने भारत से जाते समय यह कहा था कि भारतीय गंतिरोध को दूर करने के लिये अब कोई बातचीत नहीं की जायेगी। **प्राण नाथ चौपड़ा** के अनुसार इससे गांधी जी के रवैये में परिवर्तन आया। इस समय तक वे युद्ध की अवधि में कोई जन आन्दोलन नहीं चलाना चाहते थे लेकिन अब उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन आरंभ किया।

2 **रुजवेल्ट व च्यांग काई शेक के दबाव में कमी** (Decrement in Pressure of Rousewelt & Chyang Kai Shek)—इससे चर्चिल पर रुजवेल्ट तथा च्यांग काई शेक का दबाव कम हो गया।

क्रिप्स मिशन तथा अलगाववादी शक्तियों को प्रोत्साहन

क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग को प्रोत्साहन किया । मिशन के घोषित प्रस्तावों में यह स्पष्ट था कि युद्ध के बाद बनाया गया संविधान केवल इस शर्त पर स्वीकार किया जायेगा कि—

(1) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत इस नये संविधान को स्वीकार नहीं करे और तात्त्कालिक संवैधानिक स्थिति बनाये रखने का इच्छुक हो तो उसे ऐसा करने का अधिकार होगा।

(2) इस प्रकार के विलय न होने वाले प्रान्तों के लिए यदि वे चाहें तो अंग्रेजी सरकार उनके लिए एक अलग संविधान को मान्यता देगी तथा उसे भारतीय संघ के बराबर

वैवेल योजना व शिमला सम्मेलन (1945)
[Wavell Plan and Shimla Confrence (1945)]

क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आन्दोलन तथा आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतवासी अब अंग्रेजों की उपस्थिति को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अक्टूबर, 1943 ई. में **लार्ड** लिनलिथगो के स्थान पर **लार्ड वैवेल** गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने घोषणा की कि **'मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूँ।'** 21 मार्च, 1945 को वैवेल भारतीय समस्याओं को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से विचार विमर्श करने लन्दन गये। 14 जून, 1945 को वापस आए। 14 जून से ही उन्होंने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक नवीन योजना प्रस्तुत की जिसे **'वैवेल' योजना** के नाम से जाना जाता है।

वैवेल योजना की प्रस्तुति के कारण (Causes to Present Wavell Plan)

लार्ड वैवेल ने सुधार हेतु जो योजना प्रस्तुत की उसके निम्नलिखित कारण थे –

1. क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात् भारत में संवैधानिक समस्याएँ बढ़ने लगी।
2. 1943–44 ई. में भारत के कई हिस्सों में भारी अकाल पड़ने लगा। लाखों लोग मारे गये। इससे लोगों में असन्तोष था। दूसरा 1942 ई. के आन्दोलन के दौरान बन्दी बनाये गये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अतः जनता के इस असन्तोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को कुछ करना था।
3. 1945 ई. में अंग्रेज एवं उनके साथियों ने इटली व जर्मनी पर विजय प्राप्त की। अब केवल जापान ही उनका एक मात्र दुश्मन बचा। उसे हराने में एक दो वर्ष का समय भी लग सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात से परिचित था कि भारत के सहयोग से जापान पर शीघ्र विजय प्राप्त की जा सकती है इसलिए अमेरिका द्वारा ब्रिटेन पर दबाव डाले जाना प्रारम्भ हुआ। फलस्वरूप **'वैवेल योजना'** सामने आयी।
4. लार्ड वैवेल स्वयं सैनिक पदाधिकारी रह चुका था। उसका मत था कि जापान को

पराजित करने में समय लग सकता है और ऐसे समय में भारत का सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अतः उसने ब्रिटिश सरकार से वार्ता कर नवीन योजना पर जोर दिया।

5. 1945 ई. में ब्रिटेन में आम चुनाव वहोने वाला था। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल के भारत विरोधी रूख के कारण इंग्लैण्ड में उसकी आलोचना होने लगी। इंग्लैण्ड का जनमत मजदूर दल की ओर आकृष्ट होने लगा। ऐसे में अनुदार दल के नेता चर्चिल ने भारत के वायसराय से चर्चा कर एक नवीन योजना तैयार की ताकि इंग्लैण्ड की जनता को यह दर्शाया जाए कि उसकी सरकार भारत की समस्याओं के प्रति कितनी जागरूक है।

वैवेल योजना की मुख्य बातें (Main Statements of Wavell Plan)

14 जून, 1945 ई. को वैवेल ने एक योजना की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न है-

1. ब्रिटिश सरकार भारत के राजनैतिक गतिरोध को दूर करना एवं उसे स्वशासन देना चाहती है।
2. इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जायेगा, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति (जो युद्ध मन्त्री होगा) को छोड़ कर शेष सभी सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे।
3. विदेशी मामलों का विभाग (सीमान्त और कबाइली मामलों को छोड़ कर) भी कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य के हाथ में होगा।
4. परिषद में सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या समान होगी।
5. कार्यकारिणी परिषद अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गर्वनर जनरल अकारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।
6. भारत मन्त्री का भारतीय शासन पर नियन्त्रण यथावत रहेगा परन्तु उसका हस्तक्षेप कम से कम होगा।
7. दूसरे अधिराज्यों की भांति भारत में ब्रिटेन के व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी।
8. युद्ध की समाप्ति पर भारतीय लोग अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेंगे। इन प्रस्तावों का भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. उन प्रान्तों में जहां 1935 के अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत गवर्नर का शासन लागू है, उसे समाप्त कर दिया जायेगा और वहां उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जायेगी।
10. उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जायेगा।

क्रिप्स योजना के मुकाबले वैवेल योजना अधिक स्पष्ट थी। इसमें कार्यकारिणी समिति का भारतीयकरण करने का प्रस्ताव था।

शिमला सम्मेलन (Simla Conference)

वायसराय ने शिमला में 25 जून, 1945 ई. को 21 भारतीय प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया। आमन्त्रित व्यक्तियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के अतिरिक्त सभी प्रान्तों के मुख्य मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूला भाई देसाई, लियाकत अली, वी. शिवराज तथा मास्टर तारा सिंह आमन्त्रित थे। 25 जून को सम्मेलन आरम्भ हुआ और तीन दिन के विचार–विमर्श के बाद समाप्त कर दिया गया। 11 जुलाई को जिन्ना ने वायसराय को स्पष्ट कर दिया कि सरकार मुस्लिम लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माने। उसने मुसलमानों के लिए विशेष संरक्षण भी मांगा। उसकी मांग थी कि यदि कार्यकारी परिषद के किसी निर्णय को मुस्लिम लीग स्वीकार न करे तो उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि एक–तिहाई सदस्य उसको स्वीकृत न करें। कांग्रेस ने जिन्ना की मांगों का विरोध किया। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी व प्रांत के मुख्य मंत्री खिर्ज हयात खाँ ने भी इनका विरोध किया।

सम्मेलन की असफलता के कारण व परिणाम
(Causes and Result to Failure of Confrence)

शिमला सम्मेलन तीन दिन चला। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में आपसी एकता नहीं हो पायी इसलिए वैवेल ने सम्मेलन को असफल कह कर समाप्त कर दिया। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे –

1. जिन्ना इस सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी था। उसने यह मांग की कि वायसराय की कार्यकारिणी के पाँचों मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि होने चाहिए। उसने मुस्लिम सदस्यों के लिए विशेष संरक्षण की मांग की, जो अनुचित थी।
2. वैवेल भी इसकी असफलता के लिए समान रूप से उत्तरदायी था। उसे अपनी कार्यकारी परिषद के गठन के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से परामर्श कर लेना चाहिए था। उसे मुस्लिम लीग को प्रस्तावों के मानने में रूकावट पैदा करने की छूट नहीं देनी चाहिए थी।
3. इंग्लैण्ड की सरकार भी शिमला सम्मेलन की असफलता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। सम्मेलन के प्रारम्भ में वैवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष को यह विश्वास दिलाया था कि किसी को इस योजना में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिप्स की भांति वैवेल को भी अन्तिम समय में कुछ अन्य आदेश मिले थे।

परिणाम (Result)

1. भारत में संवैधानिक गतिरोध बना रहा।
2. जिन्ना की स्थिति पूर्वापेक्षा और भी सुदृढ़ हो गई। मुस्लिम लीग अब यह अच्छी तरह

कैबिनेट मिशन (1946)
[Cabinet Mission (1946)]

फरवरी 1946 ई. को भारतमन्त्री लार्ड पैथिक लॉरेन्स ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजेगी जो भारतीय नेताओं से भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न पर विचार विमर्श करेगी। मार्च 1946 में इंग्लैण्ड की मजदूर–दल की सरकार ने भारतीय समस्याओं के समाधान हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन में भारत–सचिव **लार्ड पैथिक लारेन्स**, व्यापार मण्डल के प्रधान **सर स्टैफर्ड क्रिप्स** तथा नौसेना विभाग के प्रथम अधिपति **ए.वी. एलेक्जेंडर** शामिल थे। मिशन ने अन्तरिम सरकार के गठन की पेशकश की तथा संविधान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की उसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। किन्तु जिन्ना का रूख इन प्रस्तावों के प्रति सकारात्मक नहीं रहा । अपनी मांग को स्वीकार करवाने के लिए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष–कार्यवाही दिवस मनाया।

कैबिनेट मिशन को भारत भेजने के कारण (Causes to Send Cabinet Mission)

1. इंग्लैण्ड की श्रमिक दल की सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करना चाहती थी।
2. भारत सचिव लार्ड पैथिक लॉरेन्स भारत के प्रति सहानुभूति रखता था।
3. आजाद हिन्द फौज के तीन अधिकारियों के मुकदमे ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारतीय न तो दमन सहन करेंगे और न ही अस्पष्ट प्रस्तावों से सन्तुष्ट होंगे।

कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 ई. को दिल्ली पहुंचा। 13 अप्रैल तक वह भारत के राजनैतिक दलों के प्रमुख प्रतिनिधियों से मिला। 8 मई को जिन्ना ने भारत मंत्री को पत्र लिखा कि प्रतिनिधि मण्डल की योजना से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। कांग्रेस ने उक्त मण्डल से एक अन्तरिम सरकार के गठन की अपील की। दोनों दलों ने अपने निजी प्रस्तावों को प्रतिनिधि–मण्डल के सम्मुख रखा। दोनों दलों की विरोधी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए भी कैबिनेट मिशन ने अपनी एक योजना पेश की। उसमे उन्होंने कहा **'हमने मुस्लिम**

लीग की मांग पाकिस्तान पर विचार किया है। हमारा विचार है कि इससे साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं होगी। हम यह भी न्याय के अनुसार नहीं समझते कि पंजाब, बंगाल और आसाम के उन जिलों को, जिनमें हिन्दुओं का बहुमत है, पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। भारत भौगोलिक दृष्टि से अखण्ड है, इसलिए हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते है और संयुक्त भारत के लिए योजना पेश करते है।"

मिशन की मुख्य सिफारिशें (Main Recommendations of Cabinet Mission)

मन्त्रीमण्डल मिशन ने 16 मई, 1946 ई. को अपनी योजना प्रस्तुत की जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है–

(क) भारत के भावी संविधान के लिए सिफारिशें
(Recommendations for future Constitution of India)

1. **संघ** – सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक संघ होना चाहिए जिसमें देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रान्त दोनों शामिल हो। इस संघ के पास वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन के विभाग होने चाहिए। शेष सभी विभाग प्रान्तों के पास हो।
2. **संघ की कार्यपालिका और विधानमण्डल** – संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानमण्डल होना चाहिए जिनमें ब्रिटिश प्रान्तों व देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो।
3. **साम्प्रदायिक प्रश्न** – साम्प्रदायिक प्रश्नों पर संघीय विधानमण्डल में अन्तिम निर्णय केवल सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यो के बहुमत से नहीं अपितु दोनों प्रमुख सम्प्रदायों (हिन्दू व मुस्लिम) के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के अलग–अलग बहुमत से हो।
4. **अवशिष्ट शक्तियाँ** – ऐसे सभी विषय जो केन्द्र को नहीं दिये गये हैं, वे सब प्रान्तों के पास रहेंगे। तमाम अपशिष्ट शक्तियां भी प्रान्तों के पास रहेगी।
5. **भारतीय रियासतों के अधिकार** – जिन विषयों को देशी रियासतें संघ को नहीं सौंपेंगी, उन सब पर देशी रियासतों का ही अधिकार रहेगा।
6. **प्रान्तों के ग्रुप** – प्रान्तों की अलग–अलग विधानमण्डल एवं कार्यपालिका होंगी। मन्त्रीमण्डल मिशन ने प्रथम ग्रुप में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त तथा उड़ीसा आदि को रखा। दूसरे ग्रुप में पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त और सिन्ध को रखा। तीसरे ग्रुप में बंगाल व आसाम रखे। प्रत्येक ग्रुप यह निश्चित कर सकता था कि कौनसे प्रान्तीय विषयों पर इसका नियंत्रण होगा।
7. **संविधान पर पुनर्विचार** – भारतीय संघ तथा प्रान्तों के ग्रुपों के संविधानों में यह धारा रखी जाए कि कोई भी प्रान्त अपने विधान मण्डल के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके उस योजना के आरम्भ होने के दस वर्ष बाद संविधान की धाराओं पर दुबारा विचार करवाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सके।

(ख) संविधान सभा की रचना सम्बन्धी सिफारिशें (Recommendations regarding Constitution Assembly)

1. एक संविधान सभा भारत का संविधान बनाने के लिए स्थापित की जायेगी जिसके कुल सदस्य 389 होंगे। इनमें 93 सदस्य देशी रियासतों, 4 चीफ कमिश्नर प्रान्तों तथा शेष 292 सदस्य गवर्नर–प्रान्तों के होंगे।
2. लगभग दस लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा।
3. प्रान्तों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया। प्रान्तीय विधानसभा से प्रत्येक सम्प्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा भेजने थे, उनका चुनाव प्रत्येक सम्प्रदाय अलग–अलग करेगा।
4. अल्पसंख्यक वर्ग को आबादी से अधिक सीटें देने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। केवल तीन प्रकार से मतदाताओं को बांटने का निश्चय किया – साधारण (सिक्ख व मुसलमानों को छोड़कर सभी), मुसलमान तथा सिक्ख।
5. रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर होगा। उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग देशी रियासतों द्वारा बैठाई हुई समिति द्वारा तय होगा।
6. प्रान्तों के अलग संविधान की भी इस योजना में व्यवस्था की गई। कहा गया कि संविधान सभा की प्रारम्भिक बैठक के बाद सदस्य अपने ग्रुप में बैठकर निर्णय ले सकते हैं कि उनके प्रान्तों के लिए क्या संविधान हो और कौनसे विषय किस ग्रुप के पास रहे और कौनसे विषय प्रत्येक प्रान्त के विधानमण्डल के पास रहे।
7. कोई प्रान्त अपने विधान मण्डल के बहुमत से ग्रुप छोड़ सकता है।
8. संविधान की कुछ बातें योजना में दे दी गई थी, शेष बातों को संविधान सभा को स्वयं तय करना था।
9. ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाये हुए संविधान को लागू करेगी।

संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की तालिका –

प्रान्तों का 'क' समूह

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	कुल
मद्रास	45	4	49
बम्बई	19	2	21
संयुक्त प्रान्त (U.P.)	47	8	55
बिहार	31	5	36
मध्य प्रान्त	16	1	17
उड़ीसा	9	0	9
योग	**167**	**20**	**187**

प्रान्तों का 'ख' समूह

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिक्ख	कुल
पंजाब	8	16	4	28
उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त	0	3	0	03
सिन्ध	1	3	0	04
योग	9	22	4	35

प्रान्तों का 'ग' समूह

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिक्ख	कुल
बंगाल	27	33	-	60
आसाम	7	3	-	10
योग	**34**	**36**	-	**70**

प्रान्तों के 'क', 'ख', 'ग' समूहों का योग = 292

भारतीय रियासतों के लिए सदस्य = 93

दिल्ली, अजमेर–मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान इत्यादि चीफ कमिश्नर प्रान्तों का एक–एक प्रतिनिधि = 4

कुल योग **389**

(ग) अन्तरिम सरकार (Interim Government)

केन्द्र में शीघ्र ही एक अन्तरिम सरकार स्थापित हो जायेगी जिसे भारत के प्रमुख दलों का सहयोग प्राप्त होगा। युद्ध विभाग सहित सभी विभाग मन्त्रियों को दिये जाएंगे जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त होगा। प्रशासन और संक्रमण काल में इस सरकार को ब्रिटिश सरकार पूर्ण सहयोग देगी। अन्तरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे (6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय इसाई, 1 सिक्ख, 1 पारसी)।

(घ) सन्धि (Treaty)

ब्रिटेन भारत को सत्ता सौंप देगा इसलिए इसके फलस्वरूप जो मामले उत्पन्न होंगे उनको तय करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में एक सन्धि होगी।

समीक्षा (Review)

यह योजना कई कारणों से महत्वपूर्ण थी। पहला, इसने विधान निर्मात्री परिषद का निर्माण भारतीयों द्वारा की जाने की व्यवस्था की। दूसरा, इसका निर्माण लोकतन्त्रात्मक पद्धति के आधार पर किया जाना था। तीसरा, इसमें किसी एक दल को अत्यधिक महत्व नहीं देते हुए सभी दलों का समान ध्यान रखा गया। चौथा, इसके द्वारा सम्पूर्ण देश को एक

सूत्र में बाँधने की योजना बनाई गई थी और पृथक पाकिस्तान निर्माण की मांग का विरोध किया गया था। पांचवां, इसने विधान निर्मात्री परिषद को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया था।

इस योजना में कई दोष थे–

1. इसमें प्रस्तावित प्रान्तों के समूहों की योजना अलोकतांत्रिक व अस्पष्ट थी।
2. मुस्लिम लीग ने प्रान्तों के समूहीकरण को अनिवार्य माना।
3. इन प्रस्तावों के अनुसार पहले प्रान्तों व समूहों का और उसके बाद संघ का संविधान बनाया जाना था।
4. इसमें सिक्खों के जातिगत अधिकारों के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी जबकि वे इसे प्राप्त करने का आग्रह कर रहे थे।
5. आरम्भ में कांग्रेस ने यह समझा कि प्रान्तों के लिए समूह बनाना वैकल्पिक है जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अनिवार्य माना। सरकार ने मुस्लिम लीग के विचार का समर्थन किया।
6. जिस केन्द्रीय सरकार की कल्पना की गई वह निर्बल थी।
7. देशी रियासतों को कुछ अनुचित अधिकार दिये गये।
8. संविधान सभा का भारत का संविधान अपनी स्वतन्त्र इच्छा से नहीं बना सकती थी। इसको मंत्रिमण्डल मिशन की योजना के अनुसार चलना था।

इन प्रस्तावों को कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिक्खों व अन्य दलों ने अस्वीकार किया। यद्यपि महात्मा गांधी ने कहा, ''तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह सबसे अच्छा प्रलेख था'' फिर भी इसके अनेक प्रस्तावों पर कांग्रेस को आपत्तियाँ थी।

परिणाम (Result)

1. कैबीनेट मिशन भी भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर नही कर सका।
2. मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रति अपना विरोध जारी रखा। उसने कांग्रेस व सरकार दोनों को धूर्त बताया तथा कहा कि अब समय आ गया है जबकि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए मुसलमान 'सीधी कार्यवाही' करें।
3. देश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। 16 अगस्त, 1946 ई. को मुस्लिम लीग ने 'सीधी कार्यवाही दिवस' मनाया। उस दिन कलकत्ता में सहस्त्रों की संख्या में हिन्दू मारे गये व उनके घरों को लूटा गया।

प्रत्यक्ष-कार्यवाही और साम्प्रदायिक दंगे (Direct Action by League and Communal Riots)

जिन्ना के प्रत्यक्ष कार्यवाही–दिवस ने सम्पूर्ण देश को एक प्रकार के गृहयुद्ध तथा दंगों की आग में झोंक दिया। 16 अगस्त को कलकत्ता दंगे के बाद ही नोआखली, बिहार, पंजाब, तथा यूपी में दंगे फैल गए।

इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितम्बर 1946 को अन्तरिम सरकार गठित की। आरंभ में आनाकानी के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। उसका उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार की शक्ति पर अंदर से प्रहार किया जा सके। किन्तु मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया।

एटली का वक्तव्य : 20 **फरवरी** 1947 (Attlee's Announcement)

ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को इंग्लैण्ड की कॉमन–सभा में यह घोषणा की कि उसकी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि वह **30 जून 1948** के पूर्व प्रभुसत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर देगी। लार्ड वैवेल को युद्धकाल की नियुक्ति बताते हुए वापस इंग्लैण्ड बुला लिया गया तथा उसके स्थान पर **लार्ड माउन्टबैटन को अन्तिम गवर्नर– जनरल** के रूप में भारत भेजा गया।